



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 369 राँची, शुक्रवार, 2 आषाढ़, 1945 (श०)
23 जून, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

23 मई, 2023

संख्या-4/विविध-10-20/2018 का.- 2966--महामहिम राष्ट्रपति महोदया के खूँटी में आगमन के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल पदाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी स्तर एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी स्तर के निम्नांकित पदाधिकारियों को दिनांक 24.05.2023 से 25.05.2023 तक खूँटी जिला में प्रतिनियुक्त किया जाता है-

क्र०	पदाधिकारी नाम/कोटि क्रमांक/बैच/गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन
1	श्री अनिल कुमार यादव 2/20, गोड्डा	अवर सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची
2	श्री प्रदीप कुमार 21/20, गिरिडीह	संयुक्त परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा), परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची
3	श्री प्रणव कुमार पाल 42/20, जामताड़ा	संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची
4	मो० आबिद हुसैन 176/20, राँची	अवर सचिव, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची

5	श्री सुरेन्द्र उराँव 264/20, गुमला	अवर सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
6	श्री सुदीप्त राज षष्ठम बैच/राँची	कार्यपालक दण्डाधिकारी, गुमला
7	श्री प्रणव ऋतुराज षष्ठम बैच/गिरिडीह	कार्यपालक दण्डाधिकारी, गुमला
8	श्री खाखा सुशील कुमार 344/20, लोहरदगा	कार्यपालक दण्डाधिकारी, चैनपुर, गुमला
9	श्री अमित कुमार षष्ठम बैच/लोहरदगा	कार्यपालक दण्डाधिकारी, सिमडेगा
10	श्री पंकज कुमार भगत षष्ठम बैच/गुमला	कार्यपालक दण्डाधिकारी, सिमडेगा सदर
11	श्री पवन कुमार षष्ठम बैच/रामगढ़	कार्यपालक दण्डाधिकारी, लोहरदगा
12	श्री सन्नी कुमार दास षष्ठम बैच/गिरिडीह	कार्यपालक दण्डाधिकारी, लोहरदगा सदर
13	श्री अभिषेक कुमार षष्ठम बैच/हजारीबाग	कार्यपालक दण्डाधिकारी, प0 सिंहभूम (चाईबासा)
14	श्री ललित कुमार भगत षष्ठम बैच/गुमला	कार्यपालक दण्डाधिकारी, प0 सिंहभूम (चाईबासा)
15	श्री हरिनाथ महतो षष्ठम बैच/हजारीबाग	कार्यपालक दण्डाधिकारी, रामगढ़

II. उपर्युक्त प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2,1974) की धारा-20 के तहत प्रतिनियुक्ति अवधि तक के लिए खूँटी जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

III. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को उपायुक्त, खूँटी के कार्यालय में योगदान हेतु विरमित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

IV. सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी उपायुक्त, खूँटी के कार्यालय में योगदान सुनिश्चित करेंगे तथा महामहिम राष्ट्रपति महोदया के कार्यक्रम की समाप्ति के उपरांत उपायुक्त, खूँटी द्वारा विरमित किये जाने के उपरांत अपने पदस्थापन के पद पर योगदान करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के उप सचिव।
